बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या IX-06-2013/14 (अनु०को०) S323 कृ०/पटना, दिनांक 26/11/14

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/
सभी जिला कृषि पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– **जिला कृषि कार्यालयों के निरीक्षण के संबंध में।**

महाशय,

राज्य के सभी जिला कृषि कार्यालयों का वर्ष 2014–15 में सांगोपांग निरीक्षण का संलग्न विवरणी के अनुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। संलग्न विवरणी (अनुलग्नक–1) का अवलोकन करने से ज्ञात होगा कि विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा भिन्न–भिन्न जिलों का भिन्न–भिन्न तिथियों को निरीक्षण किया जाएगा।

2. निरीक्षण के क्रम में निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा कार्यालय का गहन निरीक्षण किया जाएगा। अनुलग्नक–2 पर संदर्भ हेतु चेक स्लिप संलग्न है, जिसके अनुसार जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण टिप्पणी हेतु सामग्री तैयार की जाएगी। निरीक्षी पदाधिकारी इससे भिन्न बिन्दुओं पर भी निरीक्षण कर सकेंगे।

3. सभी जिला कृषि पदाधिकारी, निरीक्षण की तिथि के एक सप्ताह पूर्व निरीक्षण टिप्पणी तैयार करके निरीक्षी पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से भेज दें। सभी निरीक्षी पदाधिकारी निरीक्षण के एक सप्ताह बाद अनिवार्य रूप से संबंधित कार्यालय को टिप्पणी अनुपालन हेतु भेजेंगे एवं निरीक्षण टिप्पणी की एक प्रति सूचना के लिए अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्यतः भेजेंगे।

4. जिला कृषि पदाधिकारी निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन एक माह में संयुक्त कृषि निदेशक को देंगे, जो उसके अगले एक माह में अपनी टिप्पणी के साथ जिला कृषि कार्यालय को वापस करेंगे तथा उसकी सूचना निदेशक (कृषि) को भेजेंगे।

5. निदेशक (कृषि), निरीक्षण के क्रम में पायी गयी स्थिति के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति में प्रविष्टियाँ करेंगे। गबन एवं दुर्विनियोग के मामलों में राशि की वसूली हेतु कार्रवाई करेंगे एवं आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कार्य में लापरवाही एवं ढिलाई के मामले में समुचित अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

6. सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक (शष्य) अपने अधीन अन्य कार्यालयों के लिए इसी प्रकार निरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित करके वित्तीय वर्ष के अंदर सभी कार्यालयों का सांगोपांग निरीक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें प्रखंड कार्यालय से लेकर अनुमंडल कार्यालय, फार्म आदि सभी का निरीक्षण आवश्यक है।

विश्वासभाजन

25.11.14

(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव, कृषि विभाग

ज्ञापांक 5323 कृ०/पटना, दिनांक 26/11/14

प्रतिलिपि :– निदेशक (कृषि), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.11.14

प्रधान सचिव, कृषि विभाग

ज्ञापांक 5323 /कृ0, पटना, दिनांक 26/11/14

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, कृषि विभाग/निदेशक पी0पी0एम0, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), श्री इन्द्र देव पासवान/संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), श्री ए0सी0 जैन/संयुक्त कृषि निदेशक (उपयोगी अनुसंधान)/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.11.14

(धनंजयपति त्रिपाठी)
संयुक्त कृषि निदेशक (योजना)
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5323 /कृ0, पटना, दिनांक 26/11/14

प्रतिलिपि– उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना/आई0टी0मैनेजर कृषि विभाग, बिहार, पटना को सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल भेजने तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26.11.14

संयुक्त कृषि निदेशक (योजना)
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।